

ऑडियो-विजुअल निर्माण हेतु दर निर्धारण एवं योग्य, अनुभवी फर्मों का इम्पैनलमेन्ट बाबत ऑनलाईन निविदा

निविदा सूचना क्रमांक-2278

नवा रायपुर दिनांक 09/09/2025

// ऑनलाईन निविदा प्रपत्र //

निविदा प्रपत्र का शुल्क	राशि रु. 2,360/- (रु. 2000 + जीएसटी रु. 360)- (वापसी योग्य नहीं) प्रत्येक के लिए
अमानत राशि	1- ऑडियो-विजुअल निर्माण हेतु 'अ' श्रेणी के लिए रु. 2,00,000/- 'ब' श्रेणी के लिए रु. 1,00,000/- 'स' श्रेणी के लिए रु. 25,000/- 2- रेडियो जिंगल्स एवं धारावाहिक निर्माण हेतु रु. 25,000/-
प्री-बिड प्रश्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	दिनांक 15/09/2025 समय 5:00 बजे सायं तक
प्री-बिड मीटिंग की तिथि	दिनांक 16/09/2025 समय 3:00 बजे सायं
ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 07/10/2025 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
ऑनलाईन निविदा टेक्निकल बिड खोलने की तिथि	दिनांक 07/10/2025 समय 4:00 बजे सायं
प्रस्तुतिकरण की तिथि	टेक्निकल बिड में योग्य फर्मों को पृथक से सूचित किया जाएगा।
वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	योग्य फर्मों को पृथक से सूचित किया जाएगा।



छत्तीसगढ़ संवाद

(छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क संचालनालय की सहयोगी संस्था)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, छ.ग.
रायपुर फोन नं. 0771-2512510

Web :- www.samvad.cg.nic.in, Email :- cgsamvadelemedia@gmail.com

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़, फोन - 0771-2512510

क्रमांक-2278/छ.ग.सं/फिल्म/2025

नवा रायपुर, दिनांक : 09/09/2025

ऑडियो-विजुअल निर्माण हेतु दर निर्धारण एवं योग्य, अनुभवी फर्मों का इम्पैनलमेंट बाबत ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों, निगम, मंडलों द्वारा संचालित योजनाओं कार्यक्रमों एवं नीतियों के प्रचार-प्रसार हेतु ऑडियो-विजुअल निर्माण के लिये दर निर्धारण एवं ऑडियो-विजुअल निर्माता फर्मों/एजेंसियों का इम्पैनलमेंट हेतु ऑन लाईन निविदा आमंत्रित है। निविदा प्रपत्र, नियम-शर्तें एवं वित्तीय दर प्रस्ताव संबंधित अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट www.samvad.cg.nic.in से प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा के नियम शर्तों या अन्य किसी प्रकार संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जायेगी। मात्र उक्त वेबसाइट में संशोधन की जानकारी दी जायेगी।

निविदा प्रपत्र का शुल्क	राशि रु. 2,360/- (रु. 2000 + जीएसटी रु. 360)- (वापसी योग्य नहीं) प्रत्येक के लिए
अमानत राशि	1- ऑडियो-विजुअल निर्माण हेतु 'अ' श्रेणी के लिए रु. 2,00,000/- 'ब' श्रेणी के लिए रु. 1,00,000/- 'स' श्रेणी के लिए रु. 25,000/- 2- रेडियो जिंगल्स एवं धारावाहिक निर्माण हेतु रु. 25,000/-
प्री-बिड प्रश्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	दिनांक 15/09/2025 समय 5:00 बजे सायं तक
प्री-बिड मीटिंग की तिथि	दिनांक 16/09/2025 समय 3:00 बजे सायं
ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 07/10/2025 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
ऑनलाईन निविदा टेक्निकल बिड खोलने की तिथि	दिनांक 07/10/2025 समय 4:00 बजे सायं
प्रस्तुतिकरण की तिथि	टेक्निकल बिड में योग्य फर्मों को पृथक से सूचित किया जाएगा।
वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	योग्य फर्मों को पृथक से सूचित किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर, अटल नगर

छत्तीसगढ़ संवाद

(छत्तीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

ऑडियो-विजुअल निर्माण हेतु दर निर्धारण एवं योग्य, अनुभवी फर्मों का इम्पैनलमेंट बाबत ऑनलाईन निविदा की नियम एवं शर्तें

छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों, निगम, मंडलों द्वारा संचालित योजनाओं कार्यक्रमों एवं नीतियों के प्रचार-प्रसार हेतु ऑडियो-विजुअल निर्माण के लिये ऑडियो-विजुअल निर्माता फर्मों/एजेंसियों का इम्पैनलमेंट किया जाना है। राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा समाचार चैनलों, केबल टीव्ही, सोशल मीडिया, प्रदर्शनी, इंटरनेट वेबसाइट, एलईडी स्क्रीन, सिनेमाघरों, आउटडोर माध्यम एवं विभिन्न आयोजनों में प्रदर्शन के लिये ऑडियो-विजुअल का निर्माण कराया जाता है। ऑडियो विजुअल कंटेंट के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्री, वीडियो स्पॉट, एनीमेटेड फिल्मस, प्रायोजित रेडियो एवं टीवी कार्यक्रम, रेडियो जिंगल आदि का निर्माण कराया जाएगा।

1. छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा एच.डी. फॉर्मेट में ऑडियो-विजुअल निर्माण के लिए इच्छुक संस्थाओं का तीन श्रेणियों 'अ', 'ब' एवं 'स' में तथा रेडियो के श्रव्य कार्यक्रम के अन्तर्गत रेडियो जिंगल्स एवं धारावाहिक निर्माण के लिए दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों का इम्पैनलमेंट किया जाएगा।
2. निविदाकार फर्म/एजेंसी को ई-निविदा आवेदन के साथ निविदा शुल्क रु. 2,360/- एवं अमानत राशि 1- ऑडियो-विजुअल निर्माण 'अ' श्रेणी के लिए रु. 2,00,000/-, 'ब' श्रेणी के लिए रु. 1,00,000/-, 'स' श्रेणी के लिए रु. 25,000/-, 2- रेडियो जिंगल्स एवं धारावाहिक निर्माण हेतु रु. 25,000/- अमानत राशि (Earnest Money), छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता में ऑनलाईन/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति ऑनलाईन टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है :-

Account Name	:	Chhattisgarh Samvad
Bank Name	:	Indian Bank
Branch Name	:	Nava Raipur (C.G.)
Saving Account No.	:	20246301259
IFSC Code No.	:	IDIB000N571

बिना निविदा शुल्क एवं अमानत राशि (Earnest Money) के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा अनुबंध समाप्ति पर उक्त राशि (आवश्यक कटौती के उपरांत) वापसी योग्य होगी।

3. ऑनलाईन ई-निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट <http://samvad.cg.nic.in/> के माध्यम से ऑनलाईन ही जमा किया जाना है। निविदा के नियम-शर्तों या अन्य किसी प्रकार का संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र उक्त वेबसाइट में संशोधन की जानकारी दी जाएगी।
4. सभी प्री-बिड प्रश्नों को अंतिम तिथि तक ईमेल आईडी cgsamvadelemedia@gmail.com पर भेजें।
5. यह इम्पेनलमेंट निविदा लागू होने की तिथि से आगामी 02 वर्ष तक के लिए होगी। इम्पेनलमेंट अवधि में 01 वर्ष या नवीन निविदा होने तक वृद्धि का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
6. एक फर्म ऑडियो-विजुअल निर्माण संबंधी अ, ब और स श्रेणी में से किसी एक ही श्रेणी में आवेदन कर सकेगा। यदि कोई फर्म एक से अधिक श्रेणी में भाग लेता है तो उस स्थिति में निम्न श्रेणी की बोली पर विचार किया जाएगा तथा उच्च श्रेणी की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
7. निविदाकार को स्वयं/फर्म के अनुभव, टर्न ओवर, जी.एस.टी. रिटर्न, आयकर रिटर्न एवं अन्य वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना है। फ्रेंचाइजी/ज्वाइन्ट वेन्चर मान्य नहीं होगा।
8. जिस विषय वस्तु पर दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम बनवाएं जायेंगे उनके विषय वस्तु एवं आईडिया का निर्धारण आयुक्त जनसंपर्क/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद तथा संबंधित विभाग के मार्गदर्शन एवं सुझाव के अनुसार होगा। संस्था द्वारा तदनुरूप स्क्रिप्ट तैयार कर प्रस्तुत करना होगा।
9. सम्बंधित विभागों से छत्तीसगढ़ संवाद को देयक का भुगतान प्राप्त होने के पश्चात ही संबंधित एजेंसी के देयकों का भुगतान किया जाएगा। कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। एजेंसी द्वारा कार्य पश्चात् सत्यापन प्रमाण पत्र के साथ देयक छत्तीसगढ़ संवाद में प्रस्तुत करना होगा। छत्तीसगढ़ संवाद शासन की एक एजेंसी है एवं संबंधित विभाग के कार्यदिश अनुरूप फर्मों से कार्य कराया जाता है। इसलिए संबंधित विभाग द्वारा कार्य एवं देयक सत्यापन पश्चात् भुगतान करने पर कार्य पूर्ण माना जायेगा। संबंधित एजेंसी द्वारा देयक की तिथि से नियत समय में निर्धारित जीएसटी की राशि संबंधित विभाग में जमा करायी जानी होगी। एजेंसी के देयकों के भुगतान के समय एजेंसी द्वारा देयक में उल्लेखित तथा तदानुसार जमा की गई जीएसटी राशि की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा की जाएगी।
10. संस्था को निर्मित कार्यक्रम की दो डीवीडी/पेन ड्राइव छत्तीसगढ़ संवाद के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शाखा को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। वांछित गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर गुणवत्ता में सुधारकर डीवीडी/पेनड्राइव में प्रस्तुत करना होगा। सुधार नहीं करने की स्थिति में कार्यादेश निरस्त कर भुगतान नहीं करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा। वांछित गुणवत्ता एवं समय सीमा में कार्य न

करने पर एवं निविदा शर्तों का उल्लंघन करने पर अमानत राशि राजसात कर संस्था को आगामी एक वर्ष के लिए काली सूची में डाला जा सकता है।

11. निविदाकार को देयक के साथ छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित प्रारूप में 50 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निर्मित वीडियो स्पॉट/डॉक्युमेंट्री में कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं किया गया है। ऑडियो-विजुअल में प्रयोग किए गए विजुअल उनके द्वारा शूट किए गए हैं तथा वीडियो स्पॉट में प्रयोग किए गए म्यूजिक, सांग, स्क्रिप्ट, वाईस ओवर में कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं किया गया है।
12. ऑडियो-विजुअल निर्माण के लिये 'अ', 'ब' एवं 'स' श्रेणी के लिए संस्था की तकनीकी टीम- निर्देशक (सृजन), स्क्रिप्ट राईटर, सिनेमेटोग्राफर, वीडियो एडिटर, कैमरा पर्सन, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की सूची ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
13. निर्धारित प्रारूप में 50 रुपये स्टाम्प पेपर में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र दिया जाना होगा कि संबंधित संस्था/व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र/अन्य अभिलेख पूर्णतः सही है और सत्यापन के समय कोई प्रमाण-पत्र गलत पाये जाने पर उसे छत्तीसगढ़ संवाद की सूचीबद्धता से अगले एक वर्ष तक के लिए अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।
14. 'अ' एवं 'ब' श्रेणी के ऑडियो-विजुअल निर्माण हेतु निविदाकार फर्म/एजेंसी का छत्तीसगढ़ राज्य में जीएसटी पंजीयन होना अनिवार्य है। साक्ष्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत जीएसटी पंजीयन की प्रति/ARN की प्रति ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है। परन्तु फाईनेंशियल बिड खोलने की तिथि के पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत जीएसटी पंजीयन की प्रति छत्तीसगढ़ संवाद के [E-mail: cgsamvadelemedia@gmail.com](mailto:cgsamvadelemedia@gmail.com) के माध्यम से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा संबंधित निविदाकार फर्म के टेक्निकल बिड को अमान्य कर फाईनेंशियल बिड नहीं खोला जाएगा।
15. निविदाकार फर्म/एजेंसी जिस श्रेणी के लिए पात्रता रखते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन के साथ छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाते में जमा किए गए अमानत राशि की पावती/साक्ष्य निम्नानुसार संलग्न करना अनिवार्य है :-

(1) ऑडियो-विजुअल निर्माण हेतु अमानत राशि :-

'अ' - श्रेणी	रुपए 2.00 लाख
'ब' - श्रेणी	रुपए 1.00 लाख
'स' - श्रेणी	रुपए 25 हजार

(2) रेडियो जिंगल्स, धारावाहिक हेतु अमानत राशि- रुपए 25 हजार

16. अमानत राशि/प्रतिभूति राशि वापसी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
17. फर्मों के पास तीन वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 या 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 का औसत वार्षिक टर्नओवर कम से कम निम्नानुसार होना अनिवार्य है :-

(1) ऑडियो-विजुअल निर्माण हेतु औसत वार्षिक टर्नओवर—

अ — श्रेणी	रुपए 1 करोड़
ब — श्रेणी	रुपए 25 लाख
स — श्रेणी	रुपए 5 लाख

(2) रेडियो जिंगल्स, धारावाहिक निर्माण हेतु तीन वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 या 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 का औसत वार्षिक टर्नओवर — रुपए 5 लाख

(3) छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता/निर्देशक/फर्म द्वारा निर्मित किसी फिल्म को भारत सरकार से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित निर्माता/निर्देशक/फर्म (निविदाकार) को वांछित टर्न ओवर की बाध्यता में 50 प्रतिशत की छूट होगी। (साक्ष्य हेतु दस्तावेज अपलोड करना होगा)

18. टर्नओवर सत्यापन हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित एवं UDIN अंकित टर्नओवर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

19. ऑडियो-विजुअल निर्माण क्षेत्र में कार्यानुभव के लिये उक्त कार्य हेतु **केन्द्र शासन/राज्य शासन/पीएसयू संस्था** से प्राप्त कार्यादेशों/कार्य संपादन प्रमाण-पत्र ऑनलाईन टेक्निकल बिड में अपलोड करना अनिवार्य है। एनिमेशन फिल्म की दरें केवल वहीं संस्थाएं भरें, जिनके पास गत वर्षों में कम से कम 2 एनिमेशन फिल्म निर्माण का अनुभव हो। पुष्टि हेतु एनिमेशन फिल्म के कार्यादेश/कार्य संपादन प्रमाण-पत्र/कार्य संतुष्टि प्रमाण-पत्र की प्रतियां ऑनलाईन अपलोड करें।

20. निविदाकार फर्म/एजेंसी के लिए टेक्निकल बिड में पात्रता निम्नानुसार होगी :-

ऑडियो-विजुअल निर्माण हेतु :-

“अ” श्रेणी

- संस्था 31 मार्च 2025 की स्थिति में न्यूनतम **5 वर्षों** से परिचालन में होनी चाहिए। सत्यापन हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र, साझेदारी विलेख, गुमास्ता, आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- वित्तीय वर्ष **2021-22, 2022-23 एवं 2023-24** या **2022-23, 2023-24 एवं 2024-25** (Assessment Year 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 या 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) का आयकर रिटर्न, प्रॉफिट एंड लास स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एवं माह जुलाई 2025 का GSTR 3B की रिटर्न की प्रति ऑनलाईन अपलोड करना होगा।
- संस्था द्वारा **केन्द्र शासन/राज्य शासन/पीएसयू संस्था हेतु** 2 मिनट अवधि तक के न्यूनतम 10 वीडियो स्पॉट्स तथा 2 मिनट या 2 मिनट से अधिक की अवधि के 10 डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मित किये गये हो। उक्त कार्यों की पुष्टि के लिए कार्यादेश/कार्य संपादन प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा।

- अंग्रेजी/स्थानीय बोली में रूपांतरण हेतु लैंग्वेज वर्जन की दर भी प्रस्तुत करना होगा।

“ब” श्रेणी

- संस्था 31 मार्च 2025 की स्थिति में न्यूनतम **3 वर्षों** से परिचालन में होनी चाहिए। सत्यापन हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र, साझेदारी विलेख, गुमास्ता, आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- वित्तीय वर्ष **2021-22, 2022-23 एवं 2023-24** या **2022-23, 2023-24 एवं 2024-25** (Assessment Year 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 या 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) का आयकर रिटर्न, प्रॉफिट एंड लास स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एवं माह जुलाई 2025 का GSTR 3B की रिटर्न (उपलब्धता के अनुसार) की प्रति ऑनलाईन अपलोड करना होगा। यदि वित्तीय वर्ष 2024-25 (Assessment Year 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न उपलब्ध नहीं है, तो संस्था को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि वे आयकर विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अधिदेश के अनुसार और नियत तिथियों के भीतर आयकर रिटर्न प्रस्तुत करेंगे और आयकर रिटर्न दाखिल करने के 15 दिनों के भीतर आयकर रिटर्न की पावती की प्रति विभाग को प्रस्तुत करेंगे। इस शर्त का पालन न करने पर संस्था को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और/या उसकी अग्रिम राशि जब्त की जा सकती है।
- संस्था द्वारा **केन्द्र शासन/राज्य शासन/पीएसयू संस्था** हेतु 2 मिनट अवधि तक के न्यूनतम 5 वीडियो स्पोर्ट्स तथा 2 मिनट या 2 मिनट से अधिक की अवधि के 5 डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मित किये गये हो। उक्त कार्यों की पुष्टि के लिए कार्यादेश/कार्य संपादन प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है।
- अंग्रेजी/स्थानीय बोलियों में रूपांतरण हेतु लैंग्वेज वर्जन की दर भी प्रस्तुत करना होगा।

“स” श्रेणी

- संस्था 31 मार्च 2025 की स्थिति में न्यूनतम **2 वर्षों** से परिचालन में होनी चाहिए। सत्यापन हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र, साझेदारी विलेख, गुमास्ता, आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- वित्तीय वर्ष **2022-23 एवं 2023-24** या **2023-24 एवं 2024-25** (Assessment Year 2023-24 एवं 2024-25 या 2024-25 एवं 2025-26) का आयकर रिटर्न की प्रति ऑनलाईन अपलोड करना होगा। यदि वित्तीय वर्ष 2024-25 (Assessment Year 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न उपलब्ध नहीं है, तो संस्था को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि वे आयकर विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अधिदेश के अनुसार और नियत तिथियों के भीतर आयकर रिटर्न प्रस्तुत करेंगे और आयकर रिटर्न दाखिल करने के 15 दिनों के भीतर आयकर रिटर्न की पावती की प्रति विभाग को प्रस्तुत

करेंगे। इस शर्त का पालन न करने पर संस्था को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और/या उसकी अग्रिम राशि जब्त की जा सकती है।

- संस्था द्वारा **केन्द्र शासन/राज्य शासन/पीएसयू संस्था हेतु** 2 मिनट तक की अवधि के न्यूनतम 2 रील/वीडियो स्पॉट तथा 2 मिनट या 2 मिनट से अधिक की अवधि के 2 वीडियो स्पॉट/डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मित किये गये हो। उक्त कार्यों की पुष्टि के लिए कार्यादेश/कार्य संपादन प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है।
- 'स' श्रेणी हेतु छत्तीसगढ़ के निवासी ऐसे युवा, प्रशिक्षित निर्माता निविदाकार के रूप में निविदा में भाग ले सकते हैं, जिन्होंने केन्द्र अथवा राज्य शासन के मान्यता प्राप्त संस्था से फिल्म विधा के किसी क्षेत्र जैसे निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि के पाठ्यक्रम में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स उत्तीर्ण की हो। किसी निविदाकार फर्म के कर्मचारी के पास उपरोक्तानुसार, डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स होने की स्थिति में फर्म को उक्त छूट नहीं मिलेगा। फर्म को 'स' श्रेणी हेतु वांछित अर्हताएं पूर्ण करना होगा। केवल डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स धारी स्वयं के नाम से निविदा में भाग ले सकते हैं। ऐसे युवाओं, प्रशिक्षित निर्माता निविदाकारों को 'स' श्रेणी की निविदा में भाग लेने हेतु **डिग्री/ डिप्लोमा/सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा तथा अनुभव, टर्नओवर एवं परिचालन अवधि में छूट होगी** तथा बिन्दु क्र. 12 में उल्लेखित तकनीकी टीम की जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

रेडियो जिंगल्स, धारावाहिक निर्माण हेतु :-

- संस्था 31 मार्च 2025 की स्थिति में न्यूनतम 2 वर्षों से परिचालन में होनी चाहिए। सत्यापन हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र, साझेदारी विलेख, गुमास्ता, आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 - संस्था द्वारा **केन्द्र शासन/राज्य शासन/पीएसयू संस्था हेतु** न्यूनतम क्रमशः 5 आडियो जिंगल्स एवं एक रेडियो धारावाहिक निर्मित किये गये हो। उक्त कार्यों की पुष्टि के लिए कार्यादेश/कार्य संपादन प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है।
21. टेक्निकल बिड में पात्रता अनुसार ऑनलाईन प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर योग्य पाए गए फर्मों को अपने सर्वश्रेष्ठ निर्मित किये गये 1 वीडियो स्पॉट/रेडियो जिंगल्स/धारावाहिक का ऑनलाईन प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना होगा। टेक्निकल बिड में योग्य पाए गए फर्मों को प्रेजेंटेशन हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पृथक से सूचित किया जाएगा।
22. टेक्निकल बिड में योग्य पाए गए फर्मों का ऑनलाईन प्रेजेंटेशन पश्चात निम्नानुसार अवलोकन किया जाएगा –

क्र.	मद	अधिकतम अंक	ऑडियो-विजुअल निर्माण हेतु			रेडियो जिंगल्स, धारावाहिक निर्माण हेतु
			"अ" श्रेणी	"ब" श्रेणी	"स" श्रेणी	

1	औसत वार्षिक टर्नओवर	15	1-2 करोड़ – 5 अंक 2-3 करोड़ – 10 अंक 3 करोड़ से अधिक – 15 अंक	25-50 लाख – 5 अंक 50-75 लाख – 10 अंक 75 लाख से अधिक – 15 अंक	5-10 लाख – 5 अंक 10-15 लाख – 10 अंक 15 लाख से अधिक – 15 अंक	5-10 लाख – 5 अंक 10-15 लाख – 10 अंक 15 लाख से अधिक – 15 अंक
2	वर्षों का अनुभव	15	5-7 वर्ष – 5 अंक 7-10 वर्ष – 10 अंक 10 वर्ष से अधिक – 15 अंक	3-5 वर्ष – 5 अंक 5-7 वर्ष – 10 अंक 7 वर्ष से अधिक – 15 अंक	2-3 वर्ष – 5 अंक 3-5 वर्ष – 10 अंक 5 वर्ष से अधिक – 15 अंक	2-3 वर्ष – 5 अंक 3-5 वर्ष – 10 अंक 5 वर्ष से अधिक – 15 अंक
3	कार्य अनुभव	20	- प्रति 2 मिनट तक की वीडियो स्पॉट पर 1 अंक, अधिकतम 10 अंक - प्रति 2 या 2 से अधिक मिनट की वृत्तचित्र फिल्मों पर 1 अंक, अधिकतम 10 अंक	- प्रति 2 मिनट तक की वीडियो स्पॉट पर 2 अंक, अधिकतम 10 अंक - प्रति 2 या 2 से अधिक मिनट की वृत्तचित्र फिल्मों पर 2 अंक, अधिकतम 10 अंक	- प्रति 2 मिनट तक की वीडियो स्पॉट पर 2 अंक, अधिकतम 10 अंक - प्रति 2 या 2 से अधिक मिनट की वृत्तचित्र फिल्मों पर 2 अंक, अधिकतम 10 अंक	- प्रति आडियो जिंगल्स पर 2 अंक, अधिकतम 10 अंक - प्रति रेडियो धारावाहिक पर 5 अंक, अधिकतम 10 अंक
4	प्रेजेंटेशन	50	- कार्यक्रम सामग्री / तकनीकी गुणवत्ता – 15 अंक - बुनियादी ढाँचा – 15 अंक - प्लेबैक प्रस्तुति – 10 अंक			

23. फर्मों को तकनीकी अंक (टेक्निकल स्कोर) ऊपर सूचीबद्ध प्रत्येक मद के तहत दिए गए अंकों का योग होगा। फाईनेंशियल बिड खोलने के लिए योग्य होने हेतु फर्मों को न्यूनतम 70 अंकों का तकनीकी अंक (बेंचमार्क स्कोर) प्राप्त करना आवश्यक है। योग्य पाए गए फर्मों का फाईनेंशियल बिड खोला जाएगा।
24. निविदा दरें डीएव्हीपी/दूरदर्शन/आकाशवाणी द्वारा निर्धारित दरों से ज्यादा किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। प्राप्त दरों के आधार पर निगोशियेशन पश्चात् प्रत्येक कार्यों के लिए दर निर्धारित कर योग्य पाए गए फर्मों से सहमति प्राप्त कर सहमत फर्मों को इम्पैनल्ड किया जायेगा।
25. यह निविदा बौद्धिक, वैचारिक, रचनात्मक एवं सृजनात्मक प्रवृत्ति की है और ऐसे कार्य निविदाकर्ता के व्यक्तिगत और रचनात्मक अनुभव पर निर्भर करता है। सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस तरह की रचनात्मकता को मापना हमेशा मुश्किल होता है। इसलिए बौद्धिक संपदा से संबंधित इस निविदा के लिए दर निर्धारण हेतु निविदा के न्यूनतम (L1) दर पर सहमत निविदाकारों का एक पैनल गठित किया जायेगा। यदि निविदा के L1 दर अन्य निविदाकारों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए व्यवहारिक न होने एवं दर अत्यंत कम होने के कारण स्वीकार्य न हो तो इस स्थिति में निविदा समिति निविदा के अन्य दरों, गतवर्ष के अनुमोदित दरों अथवा **DAVP** द्वारा निर्धारित दरों को ध्यान में रखते हुए एक नवीन दर का मूल्यांकन कर अनुशंसा करेगी, जो इस निविदा हेतु अनुमोदित किया जायेगा।
26. अनुमोदित दरें किसी भी स्थिति में 'अ' श्रेणी की दरों से 'ब' एवं 'स' श्रेणी की दरें ज्यादा नहीं होंगी एवं इसी तरह 'ब' श्रेणी की दरों से 'स' श्रेणी की दरें ज्यादा नहीं होंगी। ऐसी स्थिति में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा दर निर्धारण कर अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाएगी।
27. यदि निम्न स्तरीय श्रेणी के किसी शीर्षक का L1 दर उच्च स्तरीय श्रेणी के उसी शीर्षक के L1 दर से अधिक है, तो निम्न स्तरीय श्रेणी की अनुमोदित दर उच्च स्तरीय श्रेणी के L1 दर से 10 प्रतिशत कम होगी।
28. **दरों की तर्कसंगतता** – हर श्रेणी के हर शीर्षक का L1 दर को उस श्रेणी के उस शीर्षक के एवरेज से तुलना किया जायेगा। यदि एवरेज और L1 दर में 30 प्रतिशत या अधिक का अंतर पाया जाता है तो उस श्रेणी के उस शीर्षक का L2 दर अनुमोदित किया जाएगा।
29. सूचीबद्ध (इम्पैनल्ड) फर्मों को ऑडियो-विजुअल निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ संवाद के साथ अनुबंध निष्पादित करना होगा।
30. इम्पैनलमेन्ट की प्रक्रिया प्राथमिक तौर पर दर निर्धारण के लिए किया जा रहा है। सूचीबद्ध (इम्पैनल्ड) फर्मों को निर्धारित न्यूनतम दर में कार्य आबंटन का अधिकार मुख्य कार्यपालन

अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद एवं आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय के पास सुरक्षित रहेगा। इम्पैनलमेंट का अर्थ कार्य आबंटित करने की प्रतिबद्धता नहीं है।

31. इम्पैनलड फर्मों को निर्धारित न्यूनतम दर एवं जीएसटी के अलावा अन्य किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा।
32. निविदा स्वीकृत अथवा निरस्त करने एवं निविदा के नियम शर्तों को शिथिल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। निविदा प्रक्रिया के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन हित में आवश्यकतानुसार शर्त निर्धारित किया जा सकता है, जो कि निविदाकर्ता को मान्य करना होगा।
33. निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मान्य हैं एवं निविदाकार फर्म को कॉपीराइट नियम, बौद्धिक सम्पदा नियम का पालन करना होगा।
34. निविदाकार फर्म को ऑडियो-विजुअल निर्माण के देयक के साथ इस आशय का 50 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, कि ऑडियो-विजुअल में कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन नहीं गया है तथा प्रस्तुत सामग्री का मालिकाना हक निर्माता संस्था के पास है। यदि, जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराये गये विजुअल्स को ऑडियो-वीडियो में शामिल किया जाता है, तो इसे कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जायेगा।
35. किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र जिला न्यायालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ ही होगा।
36. **आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता):-** किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर- प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

(रू. 50/- के स्टाम्प पेपर में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा)

शपथ पत्र

मैं----- संस्था प्रमुख निवासी -----
छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी निर्धारित नियम एवं शर्त तथा अनुबंध का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। उपरोक्त आवेदन में प्रस्तुत सभी दस्तावेज और जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं एवं आवश्यक रूप से कोई भी जानकारी नहीं दबाई या छोड़ी है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छत्तीसगढ़ संवाद की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार हैं।

यह कि जब विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर मेरी संस्था का प्रेजेंटेशन किया जायेगा, उस समय मैं समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी संस्था का प्रेजेंटेशन कराउंगा/कराउंगी। प्रेजेंटेशन उपरांत समिति का निर्णय मुझे मान्य होगा। इसके साथ ही मैं किसी प्रकार के व्यय का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

यह कि वर्तमान में हमारी संस्था -----या मैं स्वयं किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेट (काली सूची) नहीं है एवं हमारी संस्था द्वारा देय सभी कर एवं शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

स्थान -----

दिनांक -----

हस्ताक्षर
(पूरा नाम)
संस्था का नाम व मोहर

परिशिष्ट-एक
निविदाकर्ता फर्म सूचना पत्रक

क्रमांक	शीर्षक	विवरण
1	फर्म का विवरण (नाम, पता, लैंडलाइन, मोबाइल, ईमेल आईडी)	
2	फर्म के गठन की प्रकृति (व्यक्ति/स्वामित्व/साझेदारी फर्म/कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी/एलएलपी) (पंजीकरण प्रमाण पत्र, साझेदारी विलेख आदि संलग्न करें)	
3	निगमन की तिथि और स्थान	
4	स्वामी/भागीदारों/निदेशकों का नाम, पता और संपर्क विवरण	
5	निविदा प्रतिक्रिया के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/नामित प्रतिनिधि का विवरण (नाम, पद, पता और संपर्क विवरण)	
6	पंजीकरण का विवरण अ) दुकान और कार्यालय स्थापना लाइसेंस	
	ब) जीएसटी पंजीकरण संख्या	
	स) आयकर पैन नंबर	
7	तकनीकी टीम का विवरण (नाम, पद, पता और संपर्क विवरण) अ) निर्देशक (सृजन)	
	ब) स्क्रिप्ट राईटर	
	स) सिनेमेटोग्राफर	
	द) वीडियो एडिटर	
	य) कैमरा पर्सन	
	र) लैंग्वेज ट्रांसलेटर	

स्थान _____

दिनांक _____

हस्ताक्षर
(पूरा नाम)
संस्था का नाम व मोहर

परिशिष्ट- दो

फिल्म निर्माण क्षेत्र में किये गये कार्यानुभव का सप्रमाण विवरण- (दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम निर्माण के क्षेत्र में किये गये कार्यों का विवरण जिस वर्ष में किया गया है, उसको क्रमानुसार ही उल्लेखित करें तथा उसी अनुसार आवेदन के साथ आदेशों की छायाप्रति, जिस संस्था के लिये कार्य पूर्ण किया गया, उसका संतुष्टि प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए।)

क्र.	कार्यक्रम का स्वरूप आडियो, वीडियो जिंगल/वीडियो स्पॉट/लघुवृत्त चित्र/रील/धारावाहिक	विषय	स्वीकृति का वर्ष	विभाग/निगम/मंडल का नाम एवं पूर्ण पता	संस्था के कार्यादेशों की प्रति/कार्य संपादन प्रमाण-पत्र/कार्य संतुष्टि प्रमाण-पत्र संलग्न करें
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

हस्ताक्षर
पूरा नाम एवं पता
संस्था का नाम व मोहर

प्रस्तावित वित्तीय दर

एच.डी. फार्मेट में ऑडियो-विजुअल निर्माण हेतु ('अ' श्रेणी)

कार्यक्रम का विवरण	कार्यक्रम की अवधि के अनुसार प्रस्तावित दरें (जीएसटी अतिरिक्त) (HD फार्मेट में)								
	15 सेकेण्ड तक	30 सेकेण्ड तक	60 सेकेण्ड तक	90 सेकेण्ड तक	120 सेकेण्ड तक	2 से 5 मिनट	5 से 10 मिनट	10 से 15 मिनट	15 से 30 मिनट
वीडियो स्पॉट						*	*	*	*
लैंग्वेज वर्जन						*	*	*	*
लघु वृत्तचित्र / डॉक्यूड्रामा	*	*	*	*	*				
लैंग्वेज वर्जन	*	*	*	*	*				
एलईडी स्क्रीन क्रियेटिव					*	*	*	*	*
टीवी या वेब सीरीज (न्यूनतम 5 एपिसोड) (प्रति एपिसोड लागत)	*	*	*	*	*	*	*	*	
इवेंट / योजना / कार्यक्रम का वीडियो	*	*	*	*			*	*	*
निर्देशात्मक वीडियो	*	*	*	*			*	*	*
टेस्टीमोनी वीडियो	*	*	*	*			*	*	*
वीडियो एंथम / वीडियो थीम सांग	*	*	*	*			*	*	*
वीडियो शॉट शो (प्रति एपिसोड लागत)	*	*	*	*	*	*	*	*	
वर्चुअल रियलिटी वीडियो कंटेंट						*	*	*	*
वर्चुअल टूर हेतु 360 डिग्री वीडियो कैप्चर	*	*	*	*			*	*	*

एनिमेशन निर्माण हेतु ('अ' श्रेणी)

कार्यक्रम का विवरण	कार्यक्रम की अवधि के अनुसार प्रस्तावित दरें (जीएसटी अतिरिक्त)				
	15 सेकेण्ड तक	30 सेकेण्ड तक	60 सेकेण्ड तक	90 सेकेण्ड तक	120 सेकेण्ड तक
2डी एनिमेशन					
3डी एनिमेशन					

निर्माता के हस्ताक्षर
पूर्ण पता एवं संस्था की सील

प्रस्तावित वित्तीय दर

एच.डी. फार्मेट में ऑडियो-विजुअल निर्माण हेतु ('ब' श्रेणी)

कार्यक्रम का विवरण	कार्यक्रम की अवधि के अनुसार प्रस्तावित दरें (जीएसटी अतिरिक्त) (HD फार्मेट में)								
	15 सेकेण्ड तक	30 सेकेण्ड तक	60 सेकेण्ड तक	90 सेकेण्ड तक	120 सेकेण्ड तक	2 से 5 मिनट	5 से 10 मिनट	10 से 15 मिनट	15 से 30 मिनट
वीडियो स्पॉट						*	*	*	*
लैंग्वेज वर्जन						*	*	*	*
लघु वृत्तचित्र/ डॉक्यूड्रामा	*	*	*	*	*				
लैंग्वेज वर्जन	*	*	*	*	*				
एलईडी स्क्रीन क्रियेटिव					*	*	*	*	*
टीवी या वेब सीरीज़ (न्यूनतम 5 एपिसोड) (प्रति एपिसोड लागत)	*	*	*	*	*	*	*	*	
इवेंट/ योजना / कार्यक्रम का वीडियो	*	*	*	*			*	*	*
निर्देशात्मक वीडियो	*	*	*	*			*	*	*
टेस्टीमोनी वीडियो	*	*	*	*			*	*	*
वीडियो एंथम / वीडियो थीम सांग	*	*	*	*			*	*	*
वीडियो शॉट शो (प्रति एपिसोड लागत)	*	*	*	*	*	*	*	*	

एनिमेशन निर्माण हेतु ('ब' श्रेणी)

कार्यक्रम का विवरण	कार्यक्रम की अवधि के अनुसार प्रस्तावित दरें (जीएसटी अतिरिक्त)				
	15 सेकेण्ड तक	30 सेकेण्ड तक	60 सेकेण्ड तक	90 सेकेण्ड तक	120 सेकेण्ड तक
2डी एनिमेशन					
3डी एनिमेशन					

निर्माता के हस्ताक्षर
पूर्ण पता एवं संस्था की सील

प्रस्तावित वित्तीय दर

एच.डी. फार्मेट में ऑडियो-विजुअल निर्माण हेतु ('स' श्रेणी)

कार्यक्रम का विवरण	कार्यक्रम की अवधि के अनुसार प्रस्तावित दरें (जीएसटी अतिरिक्त) (HD फार्मेट में)								
	15 सेकेण्ड तक	30 सेकेण्ड तक	60 सेकेण्ड तक	90 सेकेण्ड तक	120 सेकेण्ड तक	2 से 5 मिनट	5 से 10 मिनट	10 से 15 मिनट	15 से 30 मिनट
रील/शॉर्ट्स						*	*	*	*
वीडियो स्पॉट						*	*	*	*
लैंग्वेज वर्जन						*	*	*	*
लघु वृत्तचित्र/डॉक्यूड्रामा	*	*	*	*	*				
लैंग्वेज वर्जन	*	*	*	*	*				
इवेंट/योजना/कार्यक्रम का वीडियो	*	*	*	*			*	*	*
निर्देशात्मक वीडियो	*	*	*	*			*	*	*
टेस्टीमोनी वीडियो	*	*	*	*			*	*	*
वीडियो एंथम / वीडियो थीम सांग	*	*	*	*			*	*	*

एनिमेशन निर्माण हेतु ('स' श्रेणी)

कार्यक्रम का विवरण	कार्यक्रम की अवधि के अनुसार प्रस्तावित दरें (जीएसटी अतिरिक्त)				
	15 सेकेण्ड तक	30 सेकेण्ड तक	60 सेकेण्ड तक	90 सेकेण्ड तक	120 सेकेण्ड तक
2डी एनिमेशन					
3डी एनिमेशन					

निर्माता के हस्ताक्षर
पूर्ण पता एवं संस्था की सील

प्रस्तावित वित्तीय दर

रेडियो जिंगल्स एवं धारावाहिक निर्माण हेतु

कार्यक्रम का विवरण	कार्यक्रम की अवधि के अनुसार प्रस्तावित दरें (जीएसटी अतिरिक्त) (HD फॉर्मेट में)				
	30 सेकेण्ड	60 सेकेण्ड	90 सेकेण्ड	120 सेकेण्ड	180 सेकेण्ड
रेडियो स्पोर्ट					*
रेडियो जिंगल्स / ऑडियो एंथम / थीम सांग / सिग्नेचर ट्यून					
	5 मिनट	5 से 15 मिनट	15 से 30 मिनट	*	*
धारावाहिक				*	*
ऑडियो शॉट शो / पॉडकास्ट				*	*
स्पॉन्सर्ड रेडियो प्रोग्राम				*	*

निर्माता के हस्ताक्षर
पूर्ण पता एवं संस्था की सील